

कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2469

/जी-195/2021-22/अधि0

दिनांक 01, जनवरी, 2022

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1047/चि0-1 2009-90/2007 दिनांक 19 अगस्त, 2009 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009 एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1125/XXXX/2010-90/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010 में निहित प्राविधानों के अनुसार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश संख्या-3885/NHMUK/HR/2017-18/155 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 के द्वारा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आयुष विंगों में संविदा फार्मेसिस्टों के (नियत मानदेय 12000 प्रतिमाह) में रिक्त कुल 36 पदों निम्नानुसार नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निम्न निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते हैं, पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है-

आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर रोस्टर के अनुसार आरक्षण का विवरण :-

आरक्षण	रिक्त पदों की संख्या	महिला (30 प्रतिशत)	विकलांग (04 प्रतिशत)	भूत पूर्व सैनिक (05 प्रतिशत)	स्व0 सै0 आश्रित (02 प्रतिशत)	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 05 प्रतिशत	ओपन कैटगिरी
सामान्य	33	9	1	1	0	1	21
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	0	0	0	0	0	03
योग	36	9	01	1	0	1	24

(1) आरक्षण- उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(2) अर्हतायें :-

(अनिवार्य अर्हतायें)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान वर्ग में (बाईलोजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट)का दो वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(अधिमान्य अर्हताएँ)



(i) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या

(ii) नेशनल कैंडिड कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या

(iii) राष्ट्रीय सेवायोजन का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

अ

- (iii) राष्ट्रीय सेवायोजन का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।
- (3) उत्तराखण्ड राज्य में किसी सेवा योजन कार्यालय में विज्ञापन से पूर्व पंजीकरण होना आवश्यक है ।
- (4) आयु :- दिनांक 01 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- (5) शुल्क :- कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-332/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर 2021 के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिये जाने का निर्णय लिया गया है ।
- (6) चयन प्रक्रिया :- शासन द्वारा निर्गत, "उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009" एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1125/XXXX/2010-90/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार चयन, डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष वार योग्यता क्रम (मैरिट) के अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा ।
- (7) आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :- निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं स्व प्रमाणित, स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र "निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, निकट आईटी पार्क, देहरादून" के कार्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2022 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा । आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से स्वीकार किये जायेंगे । निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् डाक वितरण में विलम्ब या किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । बिना हस्ताक्षर के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
- (8) अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना भी अनिवार्य है-
1. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) ।
 2. हाई-स्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका ।
 3. भैषजिक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका ।
 4. भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।
 5. मूल-निवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र ।
 6. उत्तराखण्ड राज्य के रोजगार/सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण-पत्र ।
 7. चरित्र प्रमाण-पत्र-2 (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त) ।
 8. निर्धारित शुल्क चालान द्वारा बैंक चालान मूल रूप में ।
 9. स्वयं पता लिखा 23X10 से0मी0 के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगे हों ।
 10. अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो ।
 11. आवेदन पत्र के लिफाफे पर संविदा फार्मेसिस्ट पद हेतु आवेदन पत्र अकिंत किया जाना आवश्यक है ।


 (प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी)
 निदेशक


आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् है :-

आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदित पद का नाम आरक्षित श्रेणी का विवरण)

(भैषजिक (फार्मसिस्ट) परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष)

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)
.....
 2. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लैटर्स में)
.....
 3. पिता/पति का नाम
.....
 4. जन्म तिथि (अंकों में)
.....
- दिनांक 01.07.2020 को आयु वर्ष माह दिन
5. पत्राचार का पता
.....
.....
.....
 6. स्थाई पता
.....
.....
.....
- दूरभाष(मो0) संख्या.....
7. आरक्षित श्रेणी का नाम (अनुसूचित जाति/अनु0जन0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग)
.....
 8. क्षैतिज आरक्षण की स्थिति (महिला/स्व0सं0सै0 के आश्रित/विकलांग/भू0पू0सै0)
 9. चालान संख्या.....दिनांक.....धनराशि रू0.....बैंक का नाम.....
 10. शैक्षिक योग्यता -

स्व-हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
फोटो

क्रमांक	शैक्षिक योग्यता	बोर्ड का नाम	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

11. भैषजिक (फार्मसिस्ट) प्रशिक्षण योग्यता -

क्रमांक	व्यवसायिक योग्यता	बोर्ड का नाम	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष/माह	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	पूरक परीक्षा में पास करने का

1	2	3	4	5	6	7	माह/वर्ष
							8

12. हाउस-जॉब/इण्टर्नशिप की अवधि से तक चिकित्सालय का नाम
13. भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकरण संख्या
14. सेवायोजन कार्यालय का नाम.....पंजीकरण संख्यावैधता अवधि.....

घोषणा

उपरोक्त प्रपत्र मेरे द्वारा भरा गया है तथा इसमें अंकित सभी तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सत्य हैं।

स्थान
दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्नकों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियों की संख्या-

1. जाति प्रमाण-पत्र।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र।
3. मूल /स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
4. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक-तालिका।
5. भैषजिक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
6. भारतीय चिकित्सा उत्तराखण्ड का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
7. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
8. स्वयं पता लिखा 23X10 से0मी0 के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगे हों।
9. चरित्र प्रमाण-पत्र-2 (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
10. अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व नाम

शुभ
किशोर
२०